

आदेश

राज्य रारकार द्वारा प्रदत्त अनुगोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 वा निम्नलिखित ग्रहणिकालय को एवं संस्कृत विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम व पता	संबद्धक विश्वविद्यालय	संचालित संकाय / विषय
जरांवोर निवासीविद्यालय, राण्डवा, तह. बीदासर, विश्वविद्यालय, बीकानेर। [पंज. युक्त]	पी.जी. महाराजा गंगा सिंह	स्नातकोत्तर स्तर पर— एम.ए.— हिन्दी साहित्य, भूगोल। एम.एस.सी.— भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र। एम.कॉम—ए.वी.एस.टी. ईएफएम।
1. संविधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संरक्षा का होगा। 2. संरथा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्विधि गान्धीपण्डितनुगार अशैक्षणिक रसाक की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी। 3. राज्य सरकार रांरथा को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। 4. रांरथा को संग्रह-2 पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घार्ड रिकॉर्ड्स का पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी। 5. संरथा द्वारा राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्समानी नियम 1993 के अन्तर्गत उपलब्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। 6. संरथा को रथाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संरथा द्वारा उपरोक्त शर्तों का नियमानुसार करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रथाई मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है। 7. संरथा को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करेगा। 8. संरथा को दो वर्ष की अवधि में NAAC से गुरुत्वांकन करवाना अनिवार्य होगा। 9. नियम गहाविद्यालयों को बी.री.आई. के नियमों की नियंत्रण अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। 10. संरथा प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय गहाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं गहाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी। 11. संरथा गहाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address का सूचना देगी। 12. मानव संसाधन विकास गंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर गहाविद्यालय को संजरक्त करकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। गहाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रत्याहुत करें। इन डाटा के अन्तर्गत पर गांव संसाधन विकास गंत्रालय द्वारा विकरित वेबपोर्टल Know Your College पर गहाविद्यालय की जानकारी रागाय जाएगी एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी। 13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।		

आयुर्वेद

~~कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर~~

- कॉलेज।

प्रतिविनियोगिताखेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

 - प्रिशेष्ट राहायक, गा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजरथान, जयपुर।
 - पिजी राधिव, आतिं० गुरुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजरथान, जयपुर।
 - पिला कलेक्टर, बुर्ल।
 - कुम्ह राधिव, पहाराजा गंगा रिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
 - सधिप, साम्बद्धित महाविद्यालय।
 - सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 - रक्षित पत्रबाबली।